6

का भी 1/8 हिस्सा होना चाहिये था तथा पक्षकारान ने जो राजीनामा पेश किया हैं. उसकी भी पुष्टि उक्त दावे मे प्रस्तुत दस्तावेजात से होती हैं तथा दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस आशय का डिक्री किया जाता हैं कि भूमि ख0नं0 2502 रकबा 0.11 हेक्टर, 2507 रकबा 0.10 हेक्टर ग्राम खण्डीप तहसील बजीरपुर में वादीगण हरिवल्लभ पुत्र मोती व कान्ता बेवा मोती जाति खाती निवासी खण्डीप को हिस्सा 1/8 का खातेदार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान रिकार्ड में रामसहाय पुत्र जगन के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर रामसहाय पुत्र जगन हिस्सा 1/8 एंव हरिवल्लभ पुत्र मोती व कान्ता बेबा मोती हिस्सा 1/8 दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। इसी अनुसार समस्त रेवन्यु रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पर्चा [redacted] डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18–7–2019 को सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)

(आर0ए0एस)

सहायक कलेक्टर, एंव कार्यपालक

मजिस्ट्रेट, गंगापुरसिटी।